दिनांक: 20/ 06/ 2024

भारत मंडपम (प्रगति मैदान) नई दिल्ली में 19-22 सितंबर 2024 को आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) के तृतीय संस्करण में रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) के आयोजन के लिए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों (ईएमए) से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) बोलियां आमंत्रित करता है

1. परिचय

1.1 कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की स्थापना भारत सरकार द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के अंतर्गत की गई थी।

1.2 एपीडा को विनिर्दिष्ट अनुसूचित उत्पादों के निर्यात संवर्धन और विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.3 एपीडा के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ https://apeda.gov.in/apedawebsite/

2. वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) 2024 के बारे में

2.1. विश्व को समृद्ध भारतीय खाद्य संस्कृति से परिचित कराने के साथ-साथ देश के विविध खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने वर्ष 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया (डब्ल्यूएफआई) का पहला संस्करण लॉन्च किया। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न (मिलेट्स) वर्ष के रूप में मनाने तथा वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक साथ लाने के उद्देश्य से , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2023 में डब्ल्यूएफआई का दूसरा संस्करण आयोजित किया। इस वर्ष, डब्ल्यूएफआई 2024 का आयोजन प्रगति मैदान , नई दिल्ली में भारत मंडपम में 19 से 22 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया डब्ल्यूएफआई 2024 की वेबसाइट देखें https://www.worldfoodindia.gov.in/

2.2. एपीडा डब्ल्यूएफआई 2024 कार्यक्रम में भाग लेगा और भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए एक पवेलियन स्थापित करेगा।

2.3. एपीडा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए , डब्ल्यूएफआई, 2024 में भागीदारी के माध्यम से, एपीडा वैश्विक उपस्थिति हासिल करने हेतु तत्पर है और तदनुसार यह एपीडा के अनुसूचित उत्पादों के विकास और प्रचार को प्रदर्शित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से खरीदारों , गणमान्य व्यक्तियों , नीति निर्माताओं को डब्ल्यूएफआई 2024 में आमंत्रित करने की योजना बना रहा है।

2.4 एपीडा "रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम)" आयोजित करके अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू संस्थाओं के बीच पारस्परिक संबंध को सुविधाजनक बनाने की भी योजना बना रहा है। आरबीएसएम भारतीय निर्यातकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए भारत से कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की सोर्सिंग के लिए बी 2बी बैठकें आयोजित करने और संभावित सहयोग पर चर्चा करने का अवसर होगा।

3. असाइनमेंट के बारे में

3.1. एपीडा वर्ल्ड फूड इंडिया , 2024 के दौरान रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) और अन्य संबंधित गतिविधियों के आयोजन के लिए इच्छुक इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों (ईएमसी) से बोलियां आमंत्रित कर रहा है।

3.2. कार्य टर्नकी आधार पर सौंपा जाएगा। हालांकि , ईएमसी को पैरा 4.4 में उल्लिखित एपीडा के साथ-साथ अन्य एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में कार्य करना होगा। आरबीएसएम और अन्य संबंधित गतिविधियों के आयोजन में एपीडा का निर्णय अंतिम और सभी मामलों में बाध्यकारी होगा।

3.3. कार्य-क्षेत्र और नियम व शर्तें नीचे पैरा 4-7 में दी गई हैं।

4. कार्य-क्षेत्र

4.1 डब्ल्यूएफआई 2024 में आरबीएसएम में भाग लेने के लिए लगभग 800-1000 खरीदारों/आयातकों को आमंत्रित किया जाना है। खरीदारों को भारत से कृषि-उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के स्रोत में रुचि रखने वाले संभावित आयातक देशों से आमंत्रित किया जाना है।

4.2 क्रेताओं/आयातकों को एपीडा द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित देश और/या क्रेता संगठन के कार्यनीतिक महत्व के अनुसार निम्नलिखित तीन स्तर की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और प्रत्येक श्रेणी के तहत आमंत्रित किए जाने वाले और उनकी सेवा करने वाले क्रेताओं की अनंतिम संख्या नीचे सूचीबद्ध है:

श्रेणी	**सहायता स्तर**	**आमंत्रित किये जाने वाले क्रेताओं की सं.**
स्तर 1 – नया खरीदार	हवाई टिकट, आवास, स्थानीय परिवहन	लगभग 200
स्तर 2 – लक्षित खरीदार	आवास, स्थानीय परिवहन	स्तर 1 पर सूचीबद्ध खरीदारों सहित लगभग 500
स्तर 3- नियमित लेकिन वास्तविक खरीदार	केवल स्थानीय परिवहन	उपरोक्त सूचीबद्ध खरीदारों के अतिरिक्त लगभग 400

4.3 एपीडा को एजेंसी को पूर्व सूचना देकर अपने विवेक से खरीदारों की संख्या बढ़ाने या घटाने या विभिन्न श्रेणियों के बीच खरीदारों की संख्या को पुनर्संयोजित करने का अधिकार है।

4.4 वर्तमान बोली के अंतगर्त कार्य-क्षेत्र निम्नलिखित होगा::

- विदेशी खरीदारों/सहभागियों की शॉर्टलिस्टिंग और चयन (एपीडा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से),
- उनकी उपस्थिति के लिए उनकी सहमति प्राप्त करना और उन्हें पोर्टल पर पंजीकृत कराना,
- एपीडा द्वारा गठित समिति से अनुमोदन प्राप्त करना,
- अनुमोदित सहभागियों को उनके वीज़ा की व्यवस्था करने में सुविधा प्रदान करना,
- होटल प्राधिकारियों के साथ समन्वय, (एपीडा द्वारा बुक किया गया),
- हवाई यात्रा टिकट एजेंसी(एजेंसियों) के साथ समन्वय (एपीडा द्वारा नामित),
- स्थानीय परिवहन एजेंसी(एजेंसियों) के साथ समन्वय (एपीडा द्वारा नामित),
- आयोजन स्थल पर आरबीएसएम से संबंधित कार्य की योजना बनाना और उसका प्रबंधन करना। इसमें एपीडा , सहभागियों (खरीदार और विक्रेता दोनों) और आयोजन स्थल प्रबंधन का जिम्मा संभालने वाली एजेंसी के बीच समन्वय शामिल होगा।

- आरबीएसएम में भागीदारी में रुचि रखने वाले प्रदर्शकों से आरबीएसएम शुल्क का संग्रहण,
- कार्यक्रम में सहभागियों की उपस्थिति का दिन-वार रिकॉर्ड बनाए रखना।
- ऐसी अन्य गतिविधि (गतिविधियां) जो असाइनमेंट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो।
- ***कार्य में किसी भी प्रकार का सिविल कार्य शामिल नहीं होगा , न ही आरबीएसएम में सहभागियों को भोजन या अन्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल होगा।***
- इस प्रकार, गतिविधि केवल उपर्युक्त पैरा (i) से (xi) तक सूचीबद्ध कार्यों का प्रबंधन करने के लिए कुशल , दक्ष और अनुभवी श्रम शक्ति प्रदान करने की तैनाती होगी।

उपरोक्त गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:

4.5 एपीडा संविक्षित संभावित आयातकों/खरीदारों की सूची उपलब्ध कराएगा और चयनित एजेंसी भागीदारी की उनकी अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए ईमेल और कॉल के माध्यम से उनसे संपर्क करेगी , और कार्यक्रम के लिए उनकी भागीदारी को बढ़ाने के संबंध में आमंत्रण भेजेगी तथा कार्यक्रम में आमंत्रित खरीदारों का उचित रिकॉर्ड बनाए रखेगी।

4.6 एजेंसी इच्छुक खरीदारों को डब्ल्यूएफआई 2024 वेबसाइट पर पंजीकृत कराना सुनिश्चित करेगी। एजेंसी नियमित आधार पर इच्छुक खरीदारों का विवरण 'एपीडा द्वारा नियुक्त समिति' को उपलब्ध कराएगी ताकि वह विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आमंत्रणों के लिए पंजीकृत खरीदारों का मूल्यांकन और अनुमोदन कर सके। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

4.7 एजेंसी पंजीकृत और अनुमोदित खरीदारों/आयातकों में से न्यूनतम 800 से 1000 खरीदारों की उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित करेगी।

4.8 खरीददारों को उनकी यात्रा की स्वीकृति के बारे में सूचना भेजना तथा आवश्यकतानुसार टिकट और होटल बुकिंग के लिए उनकी लिखित सहमति और अन्य आवश्यक विवरण प्राप्त करना।

4.9 होस्ट करने वाले खरीदारों के लिए विदेश मंत्रालय के सहयोग से वीज़ा अनुशंसा पत्र जारी करना।

4.10 ईएमसी खरीदारों को वीज़ा प्राप्त करने और एयरलाइन टिकट बुक करने में मदद करने के लिए विभिन्न देशों में भारतीय मिशनों (एपीडा की ओर से) के संबंध में संवाद करेगा।

4.11 खरीदारों/आयातकों के साथ नियमित पत्राचार का प्रबंधन करना , उनकी शंकाओं का समाधान करना, विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना , उनकी सुगम यात्रा, होटल में ठहरने, निर्यातकों से मिलने के लिए स्थानीय परिवहन की व्यवस्था करना।

4.12 भारत आने वाली अपनी-अपनी उड़ानों में सवार होने वाले खरीदारों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी रखना।

4.13 एपीडा क्रेताओं/आयातकों की समग्र सूची में वरीयता प्राप्त क्रेताओं/आयातकों को एजेंसी के समक्ष उजागर करेगा, ताकि उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिक प्रयास किए जा सकें।

4.14 यह पुन: कहा जाता है कि केवल एपीडा ही इच्छुक खरीदारों को प्रदान किए जाने वाले आतिथ्य की सीमा तय करेगा और तदनुसार एजेंसी उस इच्छुक खरीदार/आयातकर्ता की भागीदारी को अंतिम रूप देगी।

4.15 एपीडा हवाई टिकटिंग और स्थानीय परिवहन तथा साइट पर सिविल कार्य के लिए अलग-अलग एजेंसियों की नियुक्ति करेगा। आरबीएसएम एजेंसी आरबीएसएम असाइनमेंट के सुचारू और प्रभावी प्रबंधन और पूर्ति के लिए अन्य सभी एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए एपीडा का प्रतिनिधित्व करेगी। कार्य-क्षेत्र का सार ऊपर पैरा 4.4 में दिया गया है।

4.16 होटल में रहने और बोर्डिंग/लॉजिंग की व्यवस्था एपीडा द्वारा की जाएगी। कमरे का आबंटन और होटल/अतिथि के साथ समन्वय एपीडा के परामर्श से ईएमसी द्वारा किया जाएगा।

4.17 ईएमसी आरबीएसएम के सुचारू संचालन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय , इन्वेस्ट इंडिया, फिक्की, आईटीपीओ और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ भी समन्वय करेगा।

4.18 ईएमसी को खरीदारों की सुविधा के लिए एपीडा के परामर्श से प्रत्येक निर्दिष्ट होटल , हवाई अड्डे, आरबीएसएम स्थल पर सूचना/सहायता डेस्क स्थापित करना होगा।

4.19 ईएमसी पूरे इवेंट के लिए उच्च रिजोल्यूशन वाली स्थिर फोटोग्राफी के लिए एक पेशेवर फोटोग्राफर की सेवाएं लेगा और 5”x7” आकार के कम से कम 100 फोटोग्राफ और वीडियो कवरेज (सभी दिन) वाले दो फोटो-एल्बम प्रस्तुत करेगा , साथ ही यूट्यूब पर

अपलोड करने के लिए 3 मिनट का वीडियो और गतिविधि के लिए एपीडा की वेबसाइट पर लिंक प्रदान करेगा।

4.20 एपीडा ने प्रदर्शक के बूथ और विशिष्ट बी2बी मीटिंग लाउंज में बी2बी मीटिंग आयोजित करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है।

4.21 एजेंसी को मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रदर्शकों के बूथ और मीटिंग लाउंज में प्रदर्शकों और खरीदारों के साथ बी 2बी बैठकों के शेड्यूलिंग का समन्वय और आयोजन करना होगा और यह सुनिश्चित करना कि बैठकें तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएं।

4.22 ईएमसी को आरबीएसएम बैठक के सुचारू आयोजन के लिए उचित संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों और कर्मचारियों को तैनात करना होगा। इस अनुबंध के दायरे में अनुवादकों और दुभाषियों के प्रावधान को शामिल न किए जाने के बावजूद, ज़रूरत पड़ने पर एजेंसी से ऐसे लोगों की व्यवस्था करने के लिए कहा जा सकता है और आरबीएसएम एजेंसी को इवेंट के बाद वास्तविक लागत के अनुसार शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी। एजेंसी द्वारा प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए एपीडा की पूर्व लिखित स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

4.23 खरीदारों और प्रदर्शकों से फीडबैक लेने की एक प्रणाली पहले से ही विकसित की गई है, ताकि उनकी भागीदारी के प्रभाव और वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के दौरान होने वाली बैठकों से प्राप्त लाभों को समझा जा सके , ईएमसी विशेष रूप से आरबीएसएम में खरीदारों और प्रदर्शकों से इनपुट प्राप्त करेगी।

4.24 आरबीएसएम के कुशल निष्पादन के लिए आवश्यक कोई अन्य गतिविधि , जैसा कि एपीडा द्वारा निर्देशित है, ईएमसी द्वारा आयोजित की जाएगी।

4.25 ईएमसी पूरी प्रक्रिया के दौरान सुचारू रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षित, प्रशिक्षित और अनुभवी श्रमशक्ति की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

5 बोलियां प्रस्तुत करने की पात्रता:

5.1 समान प्लेटफार्म पर समान कार्य के निष्पादन में वांछित अनुभव/विशेषज्ञता के संदर्भ में निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाली एजेंसियां , तथा सहायक दस्तावेजों के साथ मजबूत वित्तीय स्थिति रखने वाली एजेंसियां बोली प्रक्रिया में भाग ले सकती हैं।

5.2 **पात्रता के आकलन के लिए अपेक्षित दस्तावेज:** एजेंसी का नाम , पता, जीएसटी पंजीकरण सं., पैन कार्ड, पिछले पांच वित्तीय वर्षों का टर्नओवर , वांछित क्षेत्र में आयोजित इवेंट्स के नाम और वर्ष जैसे विवरण अनुलग्नक- 1 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ उल्लेख किए जाने चाहिए।

<table>
<tr><th>क्रं.सं.</th><th>पात्रता मानदंड</th><th>अपेक्षित दस्तावेज़</th></tr>
<tr><td>5.2.1</td><td>एजेंसी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2021-22, 2022-23, 2023-24 के दौरान भारत के भीतर या बाहर क्रेता प्रबंधन और आरबीएसएम/क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) की व्यवस्था से संबंधित कम से कम तीन अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स आयोजित करने चाहिए।</td><td rowspan="2">एजेंसी के अस्तित्व की तारीख दर्शाने वाला सीए प्रमाणपत्र , पिछले 5 वित्तीय वर्षों का टर्नओवर और पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादित कार्य आदेशों की प्रतियों के साथ अनुलग्नक-III के रूप में कार्यरत सीए द्वारा हस्ताक्षरित और एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निष्पादित इवेंट्स का वर्ष-वार विवरण देते हुए पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान निष्पादित इवेंट्स की संख्या , साथ ही और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हों।</td></tr>
<tr><td>5.2.2</td><td>एजेंसी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2021-22, 2022-23, 2023-24 के दौरान क्रेता प्रबंधन के आयोजन और भारत के भीतर या बाहर आरबीएसएम / क्रेता विक्रेता मीट (बीएसएम) की व्यवस्था करने से संबंधित इवेंट मैनेजमेंट व्यवसाय से 3,00,00,000 रुपये (तीन करोड़ रुपये मात्र) का औसत टर्नओवर अर्जित करना चाहिए।</td></tr>
</table>

5.3 स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें उल्लेख हो कि एजेंसी को अनुलग्नक- IV के अनुसार किसी भी सरकारी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है।

6. प्रसंस्करण शुल्क, ईएमडी और कार्य-निष्पादन प्रतिभूति:

प्रसंस्करण शुल्क और बयाना राशि (ईएमडी) बोली के साथ जमा की जानी चाहिए:

6.1 एपीडा के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में 15,000/- रुपये (प्लस जीएसटी @ 18%) = 17,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ रुपये मात्र) का गैर-वापसी योग्य आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क।.

6.2 "एपीडा" के पक्ष में नई दिल्ली में देय 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) डीडी के रूप में ब्याज मुक्त बयाना राशि जमा (ईएमडी) ।

6.3 आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी के बिना प्रस्तुत की गई बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.4 एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत एजेंसियों को ईएमडी जमा करने से छूट निविदा दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी “छूट प्रमाण-पत्र” की स्व-प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने के अधीन लागू होगी।

6.5 सफल बोलीदाता को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति /जमाराशि जमा करानी होगी जो 5,00,000/- रुपये या अनुबंध मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो , होगी और सभी अनुबंध संबंधी दायित्वों के पूरा होने की तिथि के बाद साठ दिनों तक वैध होगी। सरकारी मानदंडों के अनुसार , एनएसआईसी और एमएसएमई पंजीकृत संगठनों को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति जमा करने से कोई छूट नहीं दी जाएगी।

6.6 ईएमडी की राशि को कार्य-निष्पादन प्रतिभूति /जमा के रूप में समायोजित किया जाएगा और शेष राशि (यदि कोई हो) अनुबंध मूल्य के 5% तक कार्य प्राप्त करने वाली एजेंसी द्वारा जमा की जाएगी।

7. नियम एवं शर्तें

7.1 ईएमसी एपीडा के निर्देशों और मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करेगी। एपीडा के लिए उनके द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियाँ कानूनी ढांचे के अनुसार हों , यह सुनिश्चित करना ईएमसी की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

7.2 एजेंसी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने द्वारा नियुक्त श्रमशक्ति और कर संबंधी मामलों के संबंध में स्थानीय कानूनों के अनुरूपता सुनिश्चित करे।

7.3 एपीडा के अनुसार चयनित ईएमसी को समझौते की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी कोई भी कार्रवाई उन्हें सतर्कता जांच के दायरे में न लाए। बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेजों की तैयारी और एपीडा को प्रस्तुत करने से जुड़ी लागत वहन करनी होगी।

7.4 एपीडा कार्य देने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा , यदि किसी भी स्तर पर यह निर्धारित किया जाता है कि कार्य देने के लिए अनुशंसित एजेंसी ने संबंधित अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ी वाले कार्यों में स्वयं को शामिल किया है।

7.5 यदि यह स्थापित हो जाता है कि बोलीदाता ने अनुबंध के लिए प्रतिस्पर्धा करने या उसे निष्पादित करने में भ्रष्ट या धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार किया है , तो एपीडा किसी भी

समय अनुबंध देने के लिए आवेदक/बोलीदाता को अनिश्चित अवधि के लिए या निश्चित समयावधि के लिए अयोग्य घोषित कर देगा।

7.6 बोली दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।

7.7 एपीडा के पास निम्नलिखित का अधिकार सुरक्षित है:

(i) बोली दस्तावेज प्रस्तुत करने की समय सीमा को अपने विवेकानुसार बढ़ाना।

(ii) अनुबंध/आदेश दिए जाने से पहले किसी भी समय , बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी देयता के बिना , किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना।

(iii) एपीडा की राय में सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो किसी भी समय चयनित पक्ष के साथ परियोजना का निलंबन/अनुबंध को आंशिक या पूर्ण रूप से रद्द किया जा सकता है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। एपीडा बोलीदाता को हुई किसी भी क्षति या हानि या उपरोक्त कार्रवाई से उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(iv) बोली प्रक्रिया के बाद सफल बोलीदाता को दिए जाने वाले अनुबंध की शर्तों और नियमों में संशोधन करना , यदि एपीडा की राय में ऐसा करना जनहित में या परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन है। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(v) इस दस्तावेज़ के किसी भी खंड की व्याख्या के लिए , एपीडा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों यानी बोलीदाता और एपीडा पर बाध्यकारी होगा।

8 **चयन प्रक्रिया:** चयन प्रक्रिया में बोली-पूर्व बैठक, प्राप्त बोली दस्तावेजों का मूल्यांकन, चयन समिति के समक्ष बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुतिकरण तथा दस्तावेजों और प्रस्तुतिकरण के अंकों के आधार पर बोलीदाताओं की अंक-पत्रिका तैयार करने के लिए वित्तीय बोलियों को खोलना शामिल है।

8.1 **बोली-पूर्व बैठक:** बोली दस्तावेज के संबंध में संभावित बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों, यदि कोई हो , पर चर्चा करने के लिए 25 जून 2024 को दोपहर 12:00 बजे एपीडा के मुख्यालय में बोली-पूर्व बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के कार्यवृत्त को बैठक के 2 कार्य दिवसों के भीतर एपीडा की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने के लिए बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त की प्रतीक्षा करें।

8.2 पैरा 16 में दिए गए विवरण के अनुसार विधिवत पूर्ण बोलियां 11 जुलाई 2024 तक प्रस्तुत की जाएगी।

9 बोलियों का मूल्यांकन:

9.1 एपीडा की एक समिति इस बोली के लिए प्राप्त दस्तावेजों की जांच करेगी और निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करने वाले बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को चयन समिति के समक्ष तकनीकी प्रस्तुति देनी होगी।

9.2 बोलियों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा - तकनीकी मूल्यांकन , उसके बाद वित्तीय बोली खोलना।

9.3 बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के लिए , बोलीदाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एपीडा द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर चयन समिति के समक्ष एक प्रस्तुति आयोजित की जाएगी।

9.4 प्रस्तुतिकरण में बोलीदाताओं को निम्नलिखित क्षेत्रों में उनकी साख (क्रेडेंशियल) के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे:

क्र. सं.	**क्षेत्र**	**अधिकतम अंक**
1.	समग्र अवधारणा और पिछले इवेंट्स की रूपरेखा	**20**
2.	बी2बी बैठकों के लिए साइट स्थल प्रबंधन और निष्पादन कार्यनीतियाँ।	**20**
3.	श्रमशक्ति तैनाती- (क) मुख्य इवेंट मैनेजर का प्रोफाइल (ख) सहायक कर्मियों का प्रोफाइल, और (ग) तैनात व्यक्तियों की संख्या (श्रमशक्ति में कार्यालय लिपिक कर्मचारी या उप-कर्मचारी शामिल नहीं होंगे)	**20**
4.	पिछले 3 वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत कारोबार। अंकों का	**10**

विवरण नीचे दिया गया है::

क. 4-6 करोड़ रुपये के बीच	5 अंक
ग. 6 करोड़ रुपये से अधिक	10 अंक

9.5 सभी प्रस्तुतियों पर मार्किंग की जाएगी। तकनीकी प्रस्तुतियों में न्यूनतम 70% अंक (70 में से 49 अंक) प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को शोर्ट लिस्ट किया जाएगा और केवल उनकी वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली अधिकतम 30 अंकों की होगी। अंकन की गणना में निम्नलिखित विधि होगी:

एल1 = 30 अंक

एल2 = 30 एक्सएल 1 (एल1 द्वारा कोट की गई लागत)/एल2 (एल2 द्वारा कोट की गई लागत) एल3, एल4 आदि के समान। (पक्षों की संख्या के आधार पर)।

9.6 वित्तीय अंकों को प्राप्त करने के पश्चात तकनीकी व वित्तीय बोली को शामिल किया जाएगा और जिस बोलीदाता ने अधिक अंक स्कोर किए होंगे उसका चयन किया जाएगा।

9.7 चयन समिति बिना कोई कारण बताए और एपीडा पर किसी भी दायित्व के बिना अनुबंध/आदेश देने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों या किसी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने , घोषणा को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है। एपीडा के पास कीमतों को कम करने या अधिक सुविधाएं जोड़ने के लिए चयनित बोलीदाताओं के साथ कीमतों पर वार्तालाप करने का अधिकार भी सुरक्षित है।

10. अपरिहार्य घटना:

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा, इसके तहत किसी भी दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से कार्य-निष्पादन, शत्रुता, या विरोध द्वारा, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, राज्य या सांविधिक प्राधिकरण से निर्देश , एक्सप्लोज़न , महामारी , संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जैसा कि ठेकेदार के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं है), आग, बाढ़, प्राकृतिक आपदाएं (इसके बाद घटना के रूप में संदर्भित), बशर्ते कि ऐसी किसी भी घटना के होने की सूचना उसके घटित होने की तारीख से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे को

दी जाती है, इस तरह की घटना के कारण कोई भी पक्ष इस अनुबंध को समाप्त करने का हकदार नहीं होगा, और न ही किसी भी पक्ष के पास इस प्रकार के गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के संबंध में अन्य के विरुद्ध हानि के लिए ऐसा कोई दावा होगा, बशर्ते अनुबंध व्यावहारिक रूप से, ऐसी घटना के समाप्त होने के बाद जल्द से जल्द फिर से शुरू हो जाए। अध्यक्ष, एपीडा का निर्णय कि क्या सेवा को फिर से शुरू किया जा सकता है (और समय सीमा जिसके भीतर सेवा फिर से शुरू की जा सकती है) अंतिम और निर्णायक होगा, बशर्ते कि यदि कार्य-निष्पादन पूर्ण या आंशिक रूप से इस अनुबंध के तहत दायित्व को 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए ऐसी किसी भी घटना के कारण रोका या विलंबित किया जाता है, कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

11. विवाचन:

11.1 इससे उत्पन्न होने वाले विवाद के सभी मामले भारतीय कानून द्वारा अधिशासित होंगे और केवल नई दिल्ली में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे।

11.2 किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को सुलह प्रक्रिया के माध्यम से समाधान करने का हरसंभव प्रयास करना होगा।

11.3 इसके संबंध में अनसुलझे समझौते के तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, विवाद या मतभेद की स्थिति में (मामलों को छोड़कर, निर्णय जो विशेष रूप से इस समझौते के तहत प्रदान किया गया है) इसे भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार अध्यक्ष , एपीडा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा और दिया गया निर्णय पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

11.4 भारतीय मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान दोनों पक्षों पर लागू होंगे। मध्यस्थतम कार्यवाही का स्थान एपीडा कार्यालय या अध्यक्ष, एपीडा द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य स्थान होगा।। पूर्वोक्त किसी भी संदर्भ पर, कार्य हेतु कार्यवाही में लागत और आकस्मिक खर्चों का आकलन अध्यक्ष, एपीडा के विवेक पर होगा।

11.5 मध्यस्थतम को देय शुल्क का भुगतान दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से किया जाएगा। मध्यस्थतम कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी होगी।

12 क्षतिपूर्ति:

एजेंसी बीईडीएफ और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों को एजेंसी , उसके उप ठेकेदारों, उप-एजेंटों, कर्मचारियों, आदि द्वारा उत्तरवर्ती अवधि से संबंधित अनुबंध के तहत उसके किसी भी दायित्व के उल्लंघन से उत्पन्न सभी कार्यवाही , कार्यों, हानियों, क्षतियों, व्ययों, लागतों और तीसरे पक्ष के दावों के खिलाफ क्षतिपूर्ति , बचाव और हानिरहित रखेगी, चाहे वह वित्तीय हो या अन्यथा , जिसमें ईपीएफओ/ईएसआईसी/सरकारी विभागों/स्थानीय निकायों/सांविधिक प्राधिकरणों आदि को देय योगदान के भुगतान के लिए देयता शामिल हैं, जिसका सामना बीईडीएफ को अनुबंध के निर्वाह के दौरान किसी भी समय करना पड सकता है।

13 बौद्धिक संपदा अधिकार:

13.1 एपीडा का नाम/लोगो/अन्य आईपीआर केवल एपीडा की एकमात्र और विशिष्ट संपत्ति होगी। एजेंसी और/या उनके उप-एजेंटों/उप-संविदाकारों/कर्मचारियों आदि द्वारा एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के लिए , एजेंसी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

13.2 एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआर के ऐसे किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग के कारण एपीडा किसी तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

13.3 एजेंसी एपीडा के नाम/लोगो/आईपीआरएस के किसी भी दुरुपयोग/गलत बयानी/अनधिकृत उपयोग और/या उनके/उनके उप-एजेंटों/उप- संविदाकारों /कर्मचारियों आदि द्वारा किए गए किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित किसी भी दावे के विरुद्ध एपीडा को क्षतिपूर्ति करेगी।

13.4 एपीडा ऐसे उल्लंघनों के लिए आवश्यक कानूनी और अन्य उपचारात्मक कार्रवाई करेगा , जो उचित समझी जाएगी।

13.5 इवेंट के लिए बनाई गई सभी रचनात्मक कलाकृतियाँ , वीडियो आदि एपीडा की एकमात्र संपत्ति होंगी।

14 भुगतान की शर्तें:

सफल बोलीदाता को भुगतान निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार किया जाएगा:

14.1 एपीडा के पक्ष में व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर या बैंक गारंटी के आधार पर कुल लागत का 30% तक अग्रिम भुगतान।

14.2 वास्तविक रूप से हवाई टिकटों का भुगतान टिकट जारी होने के बाद 100 के बैच में बिल और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

14.3 स्थानीय परिवहन का भुगतान वास्तविक रूप से , एपीडा के नाम पर बिल और दस्तावेज प्रस्तुत करने पर जारी किया जाएगा।

14.4 भुगतान केवल कार्य स्थल पर किए गए वास्तविक कार्य के लिए ही जारी किया जाएगा, जो कार्य-क्षेत्र के अनुसार आवश्यकतानुसार बढ़ या घट सकता है।

15 कार्य-निष्पादकता आश्वासन:

यदि एजेंसी की कार्य-निष्पादकता कसौटी पर खरा नहीं उतरता है या किसी भी प्रकार की कमी रह जाती है /कार्य–क्षेत्र में औसत दर्जे से कम आउटपुट दिया जाता है तो अंतिम भुगतान के समय एपीडा द्वारा कुल बोली मूल्य का एक हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में एपीडा का निर्णय अंतिम होगा।

एपीडा का जीएसटी विवरण इस प्रकार है: -

1.	जीएसटीआईएन	07AAAJA1150HIZU
2.	पैन	AAAJA1150H
3.	कानूनी नाम	एपीडा
4.	व्यापार नाम	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

16. बोलियां जमा करना:

विधिवत पूर्ण बोलियां निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार चार लिफाफों में प्रस्तुत की जाएगी:

लिफाफा- I: इस लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i) **आवेदन सह प्रसंस्करण शुल्क** के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में जीएसटी सहित 17,700/- रुपये (सत्रह हजार सात सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट।

(ii) **ब्याज मुक्त बयाना राशि जमा** (ईएमडी) के रूप में नई दिल्ली में देय एपीडा के पक्ष में **5,00,000/-** रुपये (पाँच लाख रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट,

लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उस पर "19 से 22 सितंबर, 2024 तक निर्धारित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण में एपीडा के लिए रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) के आयोजन के लिए **आवेदन-सह-प्रसंस्करण शुल्क और ईएमडी** " **अंकित होना चाहिए।**

लिफाफा-II: लिफाफे में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे:

(i) अनुलग्नक-I के अनुसार **ईएमसी विवरण** (विधिवत भरा हुआ) और सहायक

(ii) अनुलग्नक -III (**सीए प्रमाणपत्र**)

(iii) अनुलग्नक -IV (**कोई ब्लैक लिस्टेड घोषणा नहीं**)

यह लिफाफा मुहरबंद होना चाहिए और उस पर 19 से 22 सितंबर, 2024 तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण में एपीडा के लिए रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) के आयोजन हेतु तकनीकी बोली लिखा होना चाहिए।

लिफाफा III:

इस लिफाफे में अनुलग्नक II (वित्तीय बोली) होगी जिसे सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा जाएगा। लिफाफे को मुहरबंद किया जाना चाहिए और उस पर " 19 से 22 सितंबर, 2024 तक आयोजित वर्ल्ड फ़ूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण में एपीडा के लिए रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) के आयोजन हेतु वित्तीय बोली" लिखा होना चाहिए।

नोट: वित्तीय बोली में वित्तीय कोटेशन, विधिवत दिनांकित, प्रमुख घटकों का विवरण भारतीय रुपये में अलग से शामिल होना चाहिए।

लिफाफा IV: मास्टर लिफाफा

(i) लिफाफा I, II और III को लिफाफा-IV के अंदर रखा जाना चाहिए और फिर से मुहरबंद किया जाना चाहिए।

(ii) सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए , साथ ही लिफाफों (I, II और III) पर पूरा पता , टेलीफोन नंबर और ईमेल भी लिखा होना चाहिए ।

इस मास्टर लिफाफे (लिफाफा - IV) पर **"19 से 22 सितंबर, 2024 तक आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण में रिवर्स बायर सेलर मीट (आरबीएसएम) के आयोजन के लिए बोली" लिखा होना चाहिए** और इसे निम्नलिखित पते पर जमा करना होगा:

सचिव
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग 3, सीरी इंस्टीट्यूशनल
एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016

यदि बोलीदाता को किसी स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो तो कृपया निम्न पर संपर्क करें:

श्री मान प्रकाश विजय
उप महाप्रबंधक
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद
निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)
तीसरी मंजिल, एन.सी.यू.आई. बिल्डिंग, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110 016
फोन: 91-11-41486013 /20863919 /20867008 /20867007
मेल: mpvijay@apeda.gov.in

बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2024 को सायं 17:00 बजे तक है।

बोली-पूर्व बैठक 25 जून 2024 को दोपहर 12:00 बजे एपीडा मुख्यालय , नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की जाएगी।

*किसी भी भ्रांति की स्थिति में अंग्रेजी को वरीयता दी जाएगी

Annexure-I
(to be placed in Envelope-I)

BID FORORGANIZNG REVERSE BUYER SELLER MEET (RBSM) AT 3RD EDITION OF WORLD FOOD INDIA 2024 scheduled from 19th -22nd September, 2024

EMC Details
(on the Letter–Head of the EMC)

S. No.	Particulars	Details	Page no
1	Name of EMC and Address		
2	Address as per GST Registration (also attach documents)		
3	Name, Designation and contact details of authorized person including email id and telephone no. (Please attach Authorisation Letter)		
4	Details of Registration /AOA & MOA (Please Attach copy)		
5	GST Certificate of bidder (Please Attach copy)		
6	Pan Card of bidder (Please Attach copy)		
7	Detailed Profile of the EMC including the staff strength on payroll		
8	**Turnover during last five years** (Average Turnover Rs.3,00,00,000/- (Rupees Three Crores only) during the last five years from Event Management Business. (Please attach CA certificate (Annexure-III) certifying the turnover of the bidder for the five-year period. The turnover shall be in the name of applicant organization only and not that of group/ sister organizations.)		
9	**Experience Details** Please also attach copies of Work Orders regarding experience in Buyer management and arranging RBSM / Buyer Seller meets in India or abroad/ handling		

	similar nature of workas per eligibility criteria		
10	Details of Demand Draft for Non-Refundable Application cum Processing Fee of Rs. 17,700/- (Rupees Seventeen Thousand Seven Hundred only)		
11	Details of Demand Draft for Interest-free Earnest Money Deposit “EMD” for Rs.5,00,000/- (Rupees Five Lakh only) / irrevocable and unconditional bank guarantee in favour of APEDA, New Delhi.		
12	Self-certified copy of “Exemption Certificate for exemption from submission of EMD to NSIC and MSME registered agencies issued by respective authorities		
13	A self-Declaration mentioning that the EMC has not been blacklisted by any Government organization (Annexure-IV)		

Declaration

I undertake that the (name of EMC) will not bid for any other work relating to any activity in WFI, 2024 and work for APEDA only as an Independent agency.

Further, I hereby declare and confirm that all the information provided above is true and nothing has been concealed. I agree to abide by the terms and conditions and other stipulations mentioned in theBid document. I undertake to maintain strict confidentiality about the work assigned by APEDA. I understand that if at any time, I am found to have concealed/distorted any material information or done any act or omission against the interest of APEDA, my contract shall be summarily terminated without any notice to me

Signature of Authorised Signatory

(Name of Authorized Signatory)
Designation with company seal:

Date:
Place:
E-mail ID:
Mobile No.:

ANNEXURE-II

(to be placed in Envelope-II)

FINANCIAL BID for organizing REVERSE BUYER SELLER MEET (RBSM) at 3rd editionof WORLD FOOD INDIA 2024 scheduled from 19th -22nd September, 2024

S. No	Particular	Amount in Rs.
1	Buyer Acquisition, Air ticketing, Local transportation, Visa recommendation, Administration and On-site Management, B2B meetings as per the Scope of Work specified in the document. **Note:** Break-up of the personnel to be deployed for different activities may be given separately.	
2	Applicable taxes	
3	Total Amount (inclusive of taxes)	

Total Amount in words: Rupees ….

Signature of Authorised Signatory

Name of Authorised Signatory)

Designation

Company seal

Date:

Place:

Annexure-III

(to be placed in Envelope- 1)

Proforma for CA Certificate

(**For Technical Bid for Organising Reverse Buyer-Seller Meet (RBSM) at 3rd Edition of WORLD FOOD INDIA 2024 scheduled from 19th -22nd September, 2024**)

I /We, Proprietor / Partner / Director of _________________ (Name of CA Firm) do hereby confirm that M/s.________________________________ (Bidder), a Proprietorship / Partnership / Company having its registered office at ______________________________________, having PAN No. _________________ and GST No. ________________________ which is valid from_________________ (copy attached) do hereby declare and affirm as under:

That the business entity is in existence in the present status from______________ (date) vide PAN …………………………… and GST no. _________________.

2. The details of the business turnover and experience in number of years and turnover criteria are as follows: (on the basis of the financial statements of the entity)

S. No.	**Financial Year**	**Turnover (in Rs.) in respect of services relating to rendering of similar service at international event(s) held outside India**	**No. of International Events Executed and the Maximum value of the Single assignment**	
			No.	**Maximum Value of single assignment**
1	**2019-20**			
2	**2020-21**			
3	**2021-22**			
4	**2022-23**			
5	**2023-24**			

3. The year wise details of the international events executed by the agency on its own is as follows:

S. N o.	**Financial Year**	**Name of the Event, Place and Country**	**Contracting Organisation - Name & address**	**Contract Value and Value Realized**	**Financial Year wise Total**
1	**2019-20**				
2	**2020-21**				
3	**2021-22**				
4	**2022-23**				
5	**2023-24**				

4. That the above work was/ is obtained in the entity's own name and the billing was done and payment was collected in the entity's own bank account.

5. That the Financial statements and copies of the work orders are attached.

I have independently verified the above-mentioned details with books of accounts, returns, 26AS statements, Service tax returns, GST Returns and other related documents and found them to be true and correct

Signature
Name and designation
Seal of CA firm

Date:
Place:

Counter-signed:

Signature of Authorized Signatory

Name of Authorised Signatory (Partner/Proprietor / Director)

Company Seal

Date:

Place:

ANNEXURE-IV

(To be placed in Envelope-1)

(To be provided on the Letter Head of the Agency)

To
The Secretary,
APEDA,
New Delhi-110016

Subject: Declaration for not being Black-Listed for submitting a BID fororganizing REVERSE BUYER SELLER MEET (RBSM) AT 3RD EDITION OF WORLD FOOD INDIA 2024 scheduled from 19th -22nd September, 2024

Sir,

With reference to theBid on the subject cited above, **I**…… (Name and designation of the Signatory) hereby declare and confirm that **M/s**.… (Name of the Agency) has not been black-listed or declared as ineligible by the Central Government/ State Government / Public Sector Undertaking from participating in future bids due to unsatisfactory performance, corrupt, fraudulent or any unethical business practices or any other reasons, as on the date of submission of the bid.

Signature

(Name of Authorised Signatory)

Designation:

Company Seal

Date:

Place: